HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. 4th Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2185/2026
CNR: RJHC021017292026 | URN: SOSA / 3969U / 2026

Kartar Singh Son Of Shri Ramdayal S/o Shri Ramdayal, R/o Kanjoli, P.s. Balghat, Distt. Karauli (Raj.) (At Present Accused Applicant Confined In Central Jail Sewar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Raj Kumar Kasana, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP Mr. Krishna Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

29/10/2026

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से धारा 430 बी एन एस एस के अंतर्गत प्रस्तुत चतुर्थ सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2 हिण्डौनसिटी, जिला करौली द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **202/2016** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.10.2025 के माध्यम से धारा 341, 323, 307/34 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम 05 वर्ष के **साधारण** कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.02
10:52:29 IST

प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम सजा स्थगन आवेदन दिनांक 06.12.2025 को गुणदोषों पर खारिज किया गया था, द्वितीय व तृतीय सजा स्थगन आवेदन अंतरिम जमानत के संबंध में था।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त/अपीलार्थी का निवेदन है कि अभियुक्त निर्दोष है, पूर्व में अभियुक्त की 40 दिन की अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए प्रथम सजा स्थगन आवेदन गुणदोषों पर खारिज किया गया था, अब उसकी अभिरक्षा की अवधि करीब एक वर्ष हो चुकी है। अभियुक्त को आरोपित अपराध में अधिकतम 05 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है जिसके मुकाबले अभियुक्त एक वर्ष की सजा भुगत चुका है, निकट भविष्य में अपील के निस्तारण की संभावना नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि अपील प्रस्तुती के उपरांत छह अभियुक्तगण तथा अभियुक्त के पिता रामदयाल की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी 80 वर्षीय वृद्ध माता केंसर रोग से पीडित है जिसकी देखभाल करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः बदली हुई परिस्थितियों में अभियुक्त का यह चतुर्थ सजा स्थगन आवेदन स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों एवं तर्कों पर विचार किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों आदि को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रस्तुत चतुर्थ सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अपीलार्थी **करतार सिंह पुत्र रामदयाल** की ओर से प्रस्तुत यह चतुर्थ सजा स्थगन आवेदन स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि वह इस न्यायालय में **दिनांक 30.11.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान इस

न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 30.10.2025** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का कियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

136/Murari Lal Sharma